

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

: आदेश :

संख्या-9/पद-05-02/2007(खण्ड), सा0प्र0 1.4.3.03/पटना-15 दिनांक 1.8.10.19

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नांकित कर्मियों को दिनांक 01.11.2019 से 03.11.2019 तक छठ पूजा के अवकाश में मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्य व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन हेतु मुख्यमंत्री सचिवालय में विभिन्न विवरणी के अनुसार प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र०	नाम	पदनाम	विभाग/कार्यालय का नाम
1	श्री मो० मासूम आजम करीम	प्रधान आप्त सचिव	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना
2	श्री मो० इरफान आलम	प्रधान आप्त सचिव	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय जाँच आयुक्त)
3	श्री अबु हारिस रजा अबु केश	आप्त सचिव	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना
4	श्री मो० नसर आलम	आप्त सचिव	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
5	श्री आलोक कुमार सिन्हा	आप्त सचिव	बिहार राज्य योजना पर्वद, पटना
6	श्री मो० रिजवान	आप्त सचिव	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
7	श्री भोला प्रसाद	आप्त सचिव	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
8	श्री सज्जाद हुसैन	आप्त सचिव	शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
9	श्री मो० सोईल	आशुलिपिक	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
10	श्री घमेन्द्र कुमार	आशुलिपिक	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना
11	श्री संजीव कुमार	आशुलिपिक	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना
12	श्री संजय कुमार	आशुलिपिक	अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना

2. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त कर्मी दिनांक 23.10.2019 तक निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।


3. उक्त कर्मियों को वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 10281 दिनांक 27.09.1973 की कडिका-2 में निहित प्रावधान के आलोक में क्षतिपूरक छुट्टी का लाभ अनुमान्य होगा।


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-9/पद-05-02/2007(खण्ड), सा0प्र0 1.4.3.03/पटना-15 दिनांक 1.8.10.19

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/सामान्य प्रशासन विभाग/जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/बिहार राज्य योजना पर्वद, पटना/स्वास्थ्य विभाग/शिक्षा विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।